**शोध शीर्षकः**

## महिला उत्थान में बी०आर० अंबेडकर का योगदान: वर्तमान में प्रासंगिकता

### 1.विषय प्रवेशः (introduction)

प्रस्तावित शोध का विषय महिला उत्थान में बाबा साहब का योगदान है। इस शोध में महिलाओं के उत्थान में बाबा साहब का योगदान की चर्चा करेंगे। महिलाओं का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है। आधुनिक काल में यह माना जा रहा है कि महिला पुरुष के समान है पर अभी भी असमानता का भाव दिखाई देता है महिला पुरुषों में समानता के लिए सरकार एवं समाज के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। जिसके परिणाम स्वरुप महिलाएं पुरुषों में समानता के भाव बढ़ी है पर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। महिला के उत्थान में बी०आर० अंबेडकर की अग्रणी भूमिका रही है। इस शोध के माध्यम से महिलाओं के उत्थान में बाबा साहब के विचारों का सूक्ष्मता से अध्ययन करते हुए वर्तमान काल में उनकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालना चाहती हूं। भीमराव अंबेडकर का जीवन और कृतित्व महिला उत्थान हेतु सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा।

बाबा साहब अस्पृश्य, दलित एवं महिलाओं के लिए मसीहा थे। वर्तमान काल में जो महिलाओं की स्थिति में सुधार देख रहे हैं बाबा साहब की अहम भूमिका रही है महिला उत्थान को ध्यान में रखा जाए तो बाबा साहब की प्रासंगिकता आने वाले भविष्य में और भी बढ़ेगी क्योंकि बाबा साहब के विचार महिला विकास हेतु सभी क्षेत्रों में प्रासंगिक है। हमारे देश में महिलाओं की जो स्थिति थी और उसमें सुधार कर वर्तमान तक लाने में बाबा साहब की महती भूमिका रही है।

बाबा साहब का बचपन बहुत ही संघर्ष में बीता पर वे शिक्षा के महत्व को समझते थे यही कारण है कि वह अनेकों बाधाओं के बावजूद अपनी शिक्षा पूर्ण की उनका मानना है कि भारतीय समाज और महिलाओ के विकास एवं सम्मान पूर्वज जीवन जीने के लिए न केवल शिक्षा पर बल दिया बल्कि उनके शिक्षा का मार्गदर्शन भी किया। भारतीय समाज के उत्थान एवं विकास के लिए भी महिलाओं का उत्थान आवश्यक माना है। उनका मानना था कि किसी देश की महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। बाबा साहब ने हमेशा महिला और पुरुष के समानता का समर्थन किया है। उन्होंने भारतीय संविधान में भी स्त्री- पुरुष को सामान माना तथा दोनों को विकास का भी समान अवसर प्रदान किया। फिर भी आज भारत में महिलाएं नित्य यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना ,घरेलू हिंसा और भ्रूण हिंसा का शिकार हो रही है।

"प्राचीन काल में वर्तमान काल तक भारतीय महिला की सामाजिक स्थिति पर नजर डालें तो ज्ञात होगा कि भारतीय समाज में महिलाओं ने बड़े उतार-चढ़ाव देखे है। इस समाज में महिलाओं को सामाजिक बंधनों,

अत्याचारों, शोषण का शिकार होना पड़ा भारतीय सामाजिक तत्वों एवं धर्म शास्त्रों द्वारा वह कुचली गई है।”[1] भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत धर्म शास्त्रों के द्वारा महिलाओं को अवरोध झेलना पड़ा जैसे मनुस्मृति में कहा गया है।

**“न निष्क्रय विसर्गाभ्यां भर्तुर्भार्या विमुच्यते।**

**एवं धर्म ‘विजानीयः प्राक्प्रजापति निर्मितम्।।”([2])**

एक पत्नी को एक पति के निर्वाह से किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकती है, पति द्वारा त्याग दी जाने पर दूसरों के हाथों में बेच दी जा सकती है। इसके बावजूद भी उसके विवाहित पति पर उसका अजन्मा अधिकार बना रहेगा पर पति द्वारा त्याग दी जाने पर पालन पोषण का अधिकार वह खो बैठती है। महिलाओं को एक वस्तु की भांति दोहन किया गया है इससे भी बढ़कर मनुष्य की कोई राक्षसी प्रवृत्ति हो सकती है क्या? महिलाओं के लिए इस प्रकार का विचार रखना अति निंदनीय है। स्मृतिकार मनु का उद्देश्य तो बौद्ध काल में स्त्रियों को मिली स्वतंत्रता का अपहरण करना था। उन्हें तो स्त्रियों की स्वतंत्रता से सिर में पीड़ा हो रही थी और इस पीड़ा के निवारण का एक ही उपचार स्त्रियों की स्वतंत्रता का अपहरण करना था जो उन्होंने बखूबी किया। धन संपत्ति के विषय में भी मनु ने पत्नी को एक दास से अधिक नहीं समझा।

“आज की महिलाओं को यद्यपि भारतीय संविधान के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है फिर भी हजारों वर्षों की पुरानी झिझक अभी भी बाकी है। भले ही आज हम यह कह कर अपनी पीठ थपथपा ले की आजादी के 77 सालों में हमारी देश की महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनकर देश की बागडोर संभाल रही हैं, बड़ी-बड़ी कंपनिया चला रही हैं,  ओलंपिक में पदक जीत रही है पर व्यावहारिक तौर पर देखे तो यह महिला  जनसंख्या आबादी का अंश मात्र ही है। महिलाएं हमारे देश की कुल जनसंख्या का लगभग आधी आबादी है। आदि आबादी होने के बावजूद भी उसे सत्ता, प्रभुता एवं शक्ति से दूर रखा गया है। “हमारे समाज की महिलाओं का एक बड़ा तबका आज भी सामाजिक बंधनों की बेड़ियों को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाया है।”[3] भारतीय महिला का इतिहास रसोई से लेकर समाज तक भेदभाव का इतिहास है।

बाबा साहब का दृढ़ विश्वास था कि महिलाओं के उन्नति तभी संभव होगी जब उन्हें घर, परिवार और समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक उन्नति ही उन्हें सामाजिक बराबरी दिलाने में मदद करेगी। बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए लेकिन अकेला संविधान, कानून लोगों की मानसिकता को नहीं बदल सकता है। बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा ही ऐसा हथियार है जो जीवन की समस्याओं से सफलतापूर्वक उबरने में सक्षम बनाता है।  अंबेडकर के अनुसार “शिक्षा” स्वतंत्र मानव अस्तित्व का निर्माण करता है साथ ही जीवन में आत्मविश्वासी और सक्षम बनाती है। महिलाओं के पिछड़ेपन के कारण

शिक्षा का अभाव था जिसके कारण उनका जीवन असहाय हो गया। शिक्षा एक महिला को अच्छा जीवन जीने में सक्षम बनाता है और उनके जीवन के गतिविधियों में विविधता लाता है। महिलाओं को नई ऊर्जा और शक्ति देता है, उन्हें स्वतंत्र और सक्षम बनाता है। शिक्षा के अभाव में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जीवन के दैनिक जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। शिक्षित महिलाएं अपने अधिकार के लिए भली-भांति जागरूक होती हैं और अपने अधिकारों की रक्षा करती है। शिक्षा ने निश्चित रूप से महिलाओं को सशक्त बनाया है और महिलाएं भी आगे आकर परिवार और राष्ट्र के विकास में योगदान दे रहीं है।

## 2.साहित्य की प्रारंभिक समीक्षा: (state-of-the-art)

"किसी सभ्यता की आत्मा को समझना एवं उसकी उपलब्धियां व श्रेष्ठत का मूल्यांकन करने का सर्वोत्तम आधार उसमें स्त्रियों की दशा का अध्ययन करना, स्त्रियां किसी देश की संस्कृति का मापन मानी जाती है।"[4]

इतिहास में महिलाओं की स्थिति में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है उनकी स्थिति कभी सामान नहीं रही है भारत में महिलाओं की स्थिति समय-समय पर परिवर्तित होती रही है। हड़प्पा काल में महिलाओं को उच्च सम्मान प्राप्त था। मातृत्व सत्ता को सर्वोच्च स्थान दिया गया था समाज में उन्नति स्त्री दशा की सूचक को माना जाता था। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मूर्तियों में सबसे ज्यादा मूर्तियां महिलाओं की मिली मूर्तियों में सर्वोत्तम नमूना नर्तकी थी। हड़प्पा काल के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे उनकी पूजा करते थे। इस आधार पर माना जाता है कि हड़प्पा काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और वह समाज मातृत्व प्रधान था।

- **पूर्व वैदिक काल:**

पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सही थी। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति उन्नत थी। महिलाओं को अर्धांगिनी कहा जाता था। पति-पत्नी दोनों साथ में यज्ञ किया करते थे। कन्या अपनी इच्छा के अनुसार विवाह कर सकती थी, कन्या का बाल विवाह नहीं होता था,पर्दा प्रथा नहीं था। विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। वैदिक काल में महिलाएं बुद्धि एवं शिक्षा में अग्रणी थी। तर्कशास्त्र व वाद-विवाद में पारंगत थी। कन्या गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करने के लिए जाती थी ।इस काल में महिलाओं को सामाजिक ,आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे।

- **उत्तर वैदिक काल:**

“उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा पूर्ववत नहीं रही, अथर्ववेद में एक स्थान पर कन्या को चिंता का कारण बताया गया उनके समान स्थिति संतोषजनक बनी रही। कन्या के शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यजुर्वेद के अनुसार महिलाओं को उपनयन संस्कार के अधिकार प्राप्त थे तथा ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए वह अध्ययन करती थी, अध्ययन के पश्चात कुछ महिला अध्यापिका का कार्य करती थी। कुछ महिलाएं धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में निपुण थी। क्षत्रिय समाज में स्वयंवर की प्रथा थी। सती प्रथा का अभाव था, विधवा विवाह पर रोक लग गया था। पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकते थे किंतु समय के प्रभाव के साथ हम स्त्रियों की स्थिति में गिरावट पाते हैं। कन्या को गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने की प्रथा समाप्त हो गई तथा घर पर ही शिक्षा देने का समर्थन किया गया। महिलाओं को सामाजिक समारोह में जाना बंद हो गया था। इस काल में महिलाओं की संतोषजनक दशा का ज्ञान होता है।”[5]उपनिषद काल में हम कई महिलाओं को दार्शनिक की श्रेणी में आगे बढ़ा हुआ पाते हैं। गार्गी उसे समय की प्रख्यात दार्शनिक थी जिन्होंने दार्शनिक प्रश्नों पर वाद विवाद किया था। इस काल की कुछ महिलाएं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत का अनुष्ठान करती हुई दर्शन का अध्ययन करती थी।

महाकाव्य काल में स्त्रियों की दशा पतनोमुख्य हो गई। कन्या का जन्म अभीष्ट नहीं था। भारतीय समाज की संरचना में अछूत और स्त्रियों को शिक्षा, संपत्ति और समानता के अधिकार से वंचित रखने के लिए वर्चस्ववादी शक्तियों ने मनुस्मृति द्वारा धार्मिक ग्रन्थ गढ़ा था। जिसके लिए नैतिकता का ऐसा जाल बुना गया कि वह बचपन से लेकर मृत्यु तक पितृसत्ता पर निर्भर रहे, पुरुष आश्रित रहे। मनुस्मृति हिंदू विधि ग्रंथ है जिसने महिलाओं की क्षमता, स्वाधीनता और आत्मबोध के अवसरों से वंचित कर दिया। पुनर्विवाह का अधिकार पर रोक लगाया गया और इसे धार्मिक रूढ़ि परंपरा के रूप में अपनाकर पुरुष सदैव सत्ता वर्चस्व का सुख पाता रहा जबकि पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को स्वतंत्रता, सम्मान, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था। इस काल के अंतर्गत दासी रखने की प्रथा थी इसी काल में पर्दा प्रथा प्रचलन में था, वेदों का अध्ययन बंद कर दिया गया, महिलाएं वैदिक मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकती थी और न ही यह का अनुष्ठान कर सकती थी। इस काल में स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया। मनु स्त्रियों के प्रति अत्यंत ही नकारात्मक दृष्टि रखते थे। मनु ने तो यहां तक की पति के दुराचारी तथा चरित्रहीन होने की दशा में भी पत्नी का कर्तव्य है कि वह देवता के समान उसकी पूजा करें पति को परमेश्वर मानने की भावना का बीज रोपण किया गया, बहु विवाह प्रथा का प्रचलन हुआ। बाल विवाह का प्रचलन हुआ इसके स्वरूप शिक्षा में बाधा आई। कन्या के जन्म से लेकर मृत्यु तक पिता, भाई और पति के अधीन बना दिया गया। महिलाओं को सहयोगी न बनाकर दासी बना दिया साथ ही मनु ने इस अधीनता को रक्षा के उपमा देकर महिला को पूर्णता पुरुष पर आश्रित बना दिया। उस प्रकार मनु के आगमन से महिलाओं की स्थिति दयनीय होती चली गई।

- **मध्यकालीन काल:**

मध्यकाल में मुसलमान के आने से भारत में महिलाओं की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। मुसलमान के आगमन से महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय हो गई। "सुल्तानों ने पर्दा प्रथा को प्रोत्साहित किया। नगरों में पर्दा प्रथा भी जाट वर्ग का प्रतीक बन गई।"[6]बाल विवाह, कन्या शिशु हत्या, कन्याओं के खरीद बिक्री भी होती थी। इस काल में महिलाएं शोषण और आघातों को सहते हुए भी दया क्षमा और ममता की प्रतिमूर्ति बनी हुई थी। जिसके चलते महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से रोका गया। लेकिन इस काल में रजिया बेगम पहली महिला सुल्तान थी जो भारत की पहली महिला शासिका थी और अपने नाम का सिक्का भी चलाया था।

इस काल में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई भारतीय संस्कृति ने मुगल से बचने के लिए कड़े नियमों का प्रावधान किया गया। 5 से 8 कि आयु में कन्या का विवाह करने का प्रावधान किया था जिसके चलते शिक्षा में बाधा आई। मुगलकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय थी। उन्हें दासी बना कर रखा जाता था। महिलाओं को मात्र भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। एक पत्नी होते हुए भी दूसरी पत्नी रखना सामाजिक प्रतिष्ठा बन गई थी, अपने अस्तित्व के लिए महिलाएं पूर्ण रूप से पुरुषों पर निर्भर हो गई सती प्रथा का प्रचलन हुआ पति की मृत्यु के बाद पति के शव के साथ पत्नी को जलाया जाता था उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे सती होना पड़ता था। ऐसा करके हमारे पुरुष समाज अपने आप को प्रतिष्ठित समझते थे।

इसी काल में रामचरितमानस के रचयिता और महान कवि संत तुलसीदास ने "ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी यह सब तारण के अधिकारी' लिखकर महिला को निंदा का पात्र बनाया।"[7] इस बात से हम समझ सकते हैं कि मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। मध्यकाल में महिलाएं शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक सभी रूप से कमजोर थी। मध्ययुगीन समाज में असमानता के अधीन थी और उन पर अत्याचार किया जाता था। महिलाओं को घूंघट प्रणाली से परिचित कराया गया था इसके अलावा समाज में कई बुराइयों की शुरुआत हुई जैसे बाल विवाह, सतीप्रथा, जौहर जैसी कई सामाजिक कुरीतिया उभर रही थी।

इस तरह यह सत्य है की मध्यकाल में चांद बीबी, ताराबाई अहिल्याबाई आदि वीरांगना ने शासन संचालन में ख्याति प्राप्त की किंतु इन चंद नारियों के उदाहरण से यह नहीं कहा जा सकता कि किसी भी स्थिति में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक थी। महिलाओं को कुछ सम्मान पुत्र की माता बनने पर मिलता था और कन्या के जन्म होने पर उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था परंतु इस्लाम के भारत में आने के बाद सुरक्षा आदि प्रश्नों ने कन्या जन्म को सामाजिक अप्रतिष्ठा का विषय बना दिया। कन्या शिशु हत्या की प्रारंभ हुई, कन्या शिशु हत्या के आंकड़ों में वृद्धि हुई जिस कारण महिलाओं की स्थिति अत्यंत निचले स्तर पर थी।

- **स्वतंत्रता के पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की स्थिति:**

इस काल में भारत में अंग्रेजों का शासन था। इस काल में महिलाओं की दशा खराब होने के लिए अनेक कारण थे। इस काल में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया जिससे उनका जीवन स्तर अपने पारिवारिक तक ही सीमित होकर रह गया। इसलिए अपने अधिकारों से वंचित रह गई। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय महिलाओं की राजनीतिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। इस काल में महिलाओं को राजनीतिक में भाग लेने का अधिकार भी नहीं था। महिलाओं को अपने परिवार और पिता के संपत्ति में अधिकार नहीं था। कोई स्त्री चाहे भूखी प्यासी कितनी भी पीड़ित हो उसके द्वारा आर्थिक क्रिया करना उसके अस्तित्व और नारीत्व की कुलीनता के विरुद्ध माना जाता था। महिलाएं अमानवीय व्यवहार सहकर भी पुरुष पर आर्थिक रूप से आश्रित थी।

स्वतंत्रता पूर्व भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन से महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास किया गया। 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया। उनके उस प्रयास के परिणाम स्वरुप 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए सती प्रथा निषेध अधिनियम बनाकर सती प्रथा को समाप्त किया गया। 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने सभी को शिक्षा प्राप्त करने का सामान्य अधिकार दिया जो कि पहले नहीं था। उसे क्षेत्र में ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले का भी अहम योगदान रहा है। सावित्रीबाई फुले ने 1848 में महाराष्ट्र के पुणे जिले में भिड़ेवाड़ी में बालिकाओं के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना की ।

सर्वप्रथम इस और ध्यान बाबा साहब का गया उन्होंने आधुनिक भारत में नारी की स्थिति सुधारने के लिए अनेक प्रयास किया ताकि महिलाओं को अधिकार मिल सके। न केवल ऐतिहासिक बल्कि मूलभूत और मूल्यवान भी है। शोध कार्य में सर्वप्रथम भारतीय महिला की स्थिति में हुए पतन के कारणो को जानने का प्रयास किया गया है इसी शोध के आधार पर महिला के उत्थान और पतन को रेखांकित किया जाएगा। इस शोध में बताया जाएगा की किस काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। इसमें यह भी बताया गया है कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति ठीक थी, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अवनति शुरू हो गया। कालांतर में पतन की स्थिति में पहुंच गया। बाबा साहब के अनुसार बौद्ध धर्म के समता, स्वतंत्रता और न्याय के दर्शन से प्रभावित हो कर शूद्र और महिलाओं द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया जाने लगा। इसे रोकने के लिए व हिंदू धर्म के प्रसार के लिए मनु ने महिला और शूद्र विरोधी कानून बनाकर शूद्र और महिलाओं को शिक्षा के अवसरों से वंचित कर दिया और इसे धर्म के आदेश के रूप में लागू किया।

बाबा साहब की महिला मुक्ति के प्रति जो उनकी प्रगतिशील विचार था वह भारतीय संविधान में भी प्रकट हुआ है। बाबा साहब की जीवन का लक्ष्य रहा है कि सदियों से पीड़ितों से दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग तथा महिला के हितों की रक्षा करना। इसलिए संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में सर्वप्रथम दलित और महिलाओं को धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार का संविधान में प्रावधान किया। जिससे कि वे लोग अन्य वर्गों के समक्ष खड़े होकर स्वतंत्रता, समानता और न्याय को हासिल कर सकें।

- **महिलाओं के प्रति अंबेडकर का योगदानः**

अंबेडकर ने महिलाओं की रक्षा एवं कल्याण की वकालत की है। बाबा साहब का महिला के उत्थान को लेकर सबसे पहले मूल-मंत्र था "शिक्षा"। उन्होंने महिला की शिक्षा को समाज के विकास के लिए अति आवश्यक बताया, साथ ही अंबेडकर ने शिक्षा को ही महिलाओं के लिए ताकत बना दिया जो सभी बेड़ियों को काट सकती है। नारी मुक्ति के वाहक बाबा साहब ने स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्रता से जीवन जीने के लिए तीन मूल मंत्र दिए

- प्रथम- शिक्षित बनो
- द्वितीय -संगठित रहो
- तृतीय -संघर्ष करो

जब किसी घर में एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल वही शिक्षित होता है और यदि घर में एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। शिक्षित महिलाएं परिवार को चलाकर देश और समाज के विकास में अपना अहम योगदान देती हैं। अंबेडकर को दलित मसीह के साथ-साथ स्त्री मसीह की उपमा दिया गया।

बाबा साहब का दृढ़ विश्वास था कि महिलाओं की उन्नति तभी संभव होगी जब उन्हें घर, परिवार में बराबरी का दर्जा मिलेगा। शिक्षा और आर्थिक उन्नति उन्हें सामाजिक बराबरी दिलाने में मदद करेगी। उनका यह भी मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा और साथ ही पुरुषों के समान अन्य अधिकार दिया जाएगा। यही कारण है कि बाबा साहब ने संविधान में महिलाओं को पुरुषों के साथ समानता का अधिकार दिया। अनुच्छेद 14 में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से अथवा विधियो के समान संरक्षण से राज्यों द्वारा वांछित नहीं किया जाएगा। संविधान में लिंग के आधार पर महिला पुरुष के बीच भेदभाव समाप्त करते हुए दोनों को समान दर्जा प्रदान किया गया है। "अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म जाति लिंग स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच विभेद नहीं करेगा एवं अनुच्छेद के उप धारा 3 में महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था में दी गई। "[8]

"सोहनलाल शास्त्री विद्यवाचस्पती की पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू कोड बिल के अनुसार हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने निम्न विधानो को लाने का प्रस्ताव किया।"[9]

I. हिंदू विवाह अधिनियम।
II. विशेष विवाद अधिनियम।
III. गोद लेना अल्पायु संरक्षता अधिनियम।

IV. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम।

V. हिंदू विधवा का पुनर्विवाह अधिकार अधिनियम।

इस हिंदू कोड बिल के कानूनी स्वरूप प्रदान कर दलित एवं महिला की स्थिति में सुधार करना चाहते थे। डॉ अंबेडकर ने भारतीय महिलाओं को मानवीय अधिकार दिलाने हेतु हिंदू कोड बिल को संसद में प्रस्तुत किया। हिंदू कोड बिल के समस्त अधिकार दलित एवं गैर दलित सभी महिलाओं के हितकर थे।

**3.समस्या का विधान: (Statement of problem)**

वर्तमान काल में लैंगिक असमानताओं के कारण पर केवल चर्चा ही नहीं की जाएगी बल्कि इस समस्या का समाधान तलाशने का प्रयास भी किया जाएगा क्योंकि हम जानते है की महिला और पुरुष समाज के मूल आधार है किसी एक के कमजोर होने पर समाज का आधार कमजोर हो जाएगा।

महिला घर और सामान दोनों जगह पर शोषण, अपमानित, भेदभाव से पीड़ित होती आ रही है। यहां जो महिलाओं को लेकर समाज में असमानताएं हैं उन्हें खत्म करना मेरा शोध कार्य का मकसद है क्योंकि आज भी दहेज प्रथा हमारे समाज में चारों ओर फैली हुई है। न जाने कितनी महिलाएं इस दहेज की आग में जलाई साथ ही दिन-प्रतिदिन बलात्कार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, एसिड अटैक, निरक्षता दर से जूझना पड़ता हैं। जो महिलाओं को लेकर समाज में असमानताएं हैं उन्हें खत्म करना है साथ ही महिलाओं के प्रति अंबेडकर के विचार का अध्ययन करते हुए वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालना है। अपने शोध के द्वारा इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। बाबा साहब के विचार आज के समाज और देश के विकास के लिए प्रेरक है। भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत अनेक बुराइयां व्याप्त रही है। जिन बुराइयों का सामना भारतीय महिलाओं ने सदैव किया है। भारतीय समाज में महिलाएं शोषण, अन्याय, अत्याचार एवं बहुत सी कुरीतिया का शिकार होती रही है। महिलाओं के इन समस्याओं का निराकरण बाबा साहब के विचारों द्वारा करेंगे।

**4. समस्या का अनुसंधान: (Problem to be investigated)**

इस शोध में अंबेडकर के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर महिलाओं के विकास की स्थिति का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही हमारे समाज में महिला और पुरुष को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा जाता है फिर भी कहीं

ना कहीं महिला आज भी बेड़ियों में बंधी हुई है, कानूनी अधिकार मिले हैं फिर भी हमारे समाज की सोच आज भी कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर पुरानी बनी हुई है। महिलाएं आज भी पुरुषों पर आश्रित है, यही सोच को बदलना है इसके अलावा यह भी चर्चा की जाएगी की वर्तमान में अंबेडकर के बताए गए मार्ग पर चलकर हम कैसे महिलाओं की स्थिति में और सुधार कर सकते हैं।

## 5. <u>शोध का उद्देश्य: (Obejective of the research)</u>

मेरा इस शोध कार्य का उद्देश्य है कि बाबा साहब का महिला के उत्थान में योगदान को बताना साथ ही वर्तमान काल में महिला के साथ हो रहे लैंगिक असमानताओं को समाप्त करने में बाबा साहब के विचार की प्रासंगिकता को बताना है।

I. भारत में महिलाओं का इतिहास जानना।
II. अंबेडकर के महिलाओं के विकास के प्रति योगदान जानना।
III. महिलाओं को संवैधानिक अधिकार मिलने के बाद वर्तमान स्थिति से और सुधार व उत्थान के लिए सुझाव देना।
IV. वर्तमान काल में महिलाओं की स्थिति को जानना।
V. वर्तमान काल में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए बाबा साहब के विचार की प्रासंगिकता को जानना।
VI. क्या हमारे समाज में आज भी महिलाएं पूरी तरह से स्वतंत्र है।
VII. महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के संदर्भ में अध्ययन करना।
VIII. महिलाओं से संबंधित कानून का अध्ययन करना व उसमें और सुधार का सुझाव देना।

## 6.<u>परिकल्पना: (Hypothesis)</u>

डॉ अंबेडकर का दार्शनिक चिंतन हमेशा से ही मानव कल्याण पर आधारित है। वह हमेशा से अछूतों एवं महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कर उनके के उत्थान के लिए आजीवन प्रयास करते रहे। अंबेडकर

को विश्वास था कि महिलाओं को शिक्षित कर उनके के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वह भी महिलाओं के विकास के लिए मार्गदर्शन है।

अपने अध्ययन काल में अपने गुरुजनों से व समाज के लोगों से में सुनते आई हूं कि पहले के समय में महिलाओं को सारे अधिकार प्राप्त थे, सभी क्षेत्रों में बराबरी का स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल से मध्यकाल तक महिलाओं की स्थिति गिरती चली गई। महिलाओं की स्थिति में सुधार भी हुए लेकिन महिलाओं पर अनेक तरह की पाबंदियां हैं। अंबेडकर के समय महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी, उनके समक्ष में क्या-क्या अधिकार थे। समाज की उन्नति में उनका क्या योगदान है। इसकी जानकारी प्राप्त करते हुए वर्तमान से भी महिलाओं की स्थिति और कैसे बेहतर हो, इस संदर्भ में बाबा साहब के विचारों की प्रासंगिकता का अध्ययन करते हुए सुझाव देने का प्रयास करेंगे।

**7.<u>शोध प्रारूप एवं अध्ययन पद्धति: (Research design and methodology)</u>**

शोध कार्य डॉक्टर अंबेडकर के मूल पुस्तक एवं सहायक पुस्तक पर आधारित होगा। इसके लिए पुस्तकावलोकन विधि की सहायता ली जाएगी। इतिहास के पुस्तक की भी सहायता ली जाएगी साथ ही साथ वर्तमान की जानकारी भी ली जाएगी।

यह शोध मुख्यतः नवीन शोध होगा। इस शोध में विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, तुलनात्मक और समीक्षात्मक पद्धति का उपयोग किया जाएगा।

**8. <u>तथ्य संकलन: (Tools to be used in the collection of data and analysis)</u>**

तथ्य संकलन हेतु विभिन्न पुस्तकालयों का भ्रमण किया जाएगा और पुस्तकों में उपलब्ध अंबेडकर की मूल और सहायक पुस्तको का तथ्यों को इकट्ठा किया जाए। इस विषय से संबंधित ग्रंथों व महिलाओ संबंधित ग्रंथों

का अध्ययन किया जाएगा। शोध के क्रम में इस विषय पर जानकारी रखने वाले गुरु व विहतजनों से भी संवाद कर तथ्यात्मक सामग्रियों को एकत्रित किया जाएगा। शोध क्रम में विषय से संबंधित प्रमुख चिंतक एवं विचारकों का प्रकाशित अन्य रचनाएं, शोध प्रबंध आदि की सहायता ली जाएगी।

**9. शोध कार्य का महत्व: (Significance of proposed work)**

वर्तमान काल में बाबा साहब का अध्ययन करते हुए हमारे समाज में जो लैंगिक  भिन्नताएं दिखाई देती है उन्हें समाप्त करना है। भारतीय महिलाओं के इतिहास को जानना। बाबा साहब के द्वारा महिला के उत्थान को जानना। बाबा साहब के योगदान के द्वारा महिलाओं की स्थिति कैसे बेहतर हो इसके संदर्भ में सुझाव देना। उनकी वर्तमान काल में विचारों की प्रासंगिकता को जानना।

शोध प्रबंध के माध्यम से सुझाव देने का प्रयास करेंगे जो भविष्य में महिलाओं को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा।

**10.वर्तमान ज्ञान में योगदान: (Contribution to the existing knowledge)**

वर्तमान में महिलाएं सभी क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। अधिकारों का उपयोग कर संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों के लिए जागृत हो पाई यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही प्रभाव है। वर्तमान में भी हम उनके विचारों का अध्ययन करते हुए असमानताओं को समाप्त कर सकते हैं।

**11.अनुसंधान की सीमाए: (Limitations of the research work)**

शोध के विषय एवं समस्या चयन के बाद जहां तक संभव हो सके सीमा निर्धारण करना आवश्यक है। ताकि तथ्यो के संकलन में भटकाव की संभावना कम हो। प्रस्तुत शोध में बाबा साहब के विचारों से समस्या का

समाधान किया जाएगा। साथ ही वर्तमान में महिलाओं को लेकर जो असमानताएं हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसमें बाबा साहब के मूल पुस्तक एवं महिलाओं से संबंधित पुस्तकों, शोध जनरल के पत्र-पत्रिका आदि का अध्ययन शामिल किया जाएगा।

## 12.<u>भविष्य में कार्य होने की संभावनाः (Future work)</u>

अंबेडकर के विचार का अध्ययन समाज के लिए अति आवश्यक है। बाबा साहब अतीत में भी महत्वपूर्ण थे, वर्तमान में भी महत्वपूर्ण है और भविष्य में भी उपयोगी होंगे। क्योंकि अंबेडकर के विचारों की शिक्षा सर्व युग में आवश्यक है। बाबा साहब ने महिला पुरुषों के अधिकारों में विभेद को संवैधानिक प्रावधान द्वारा समाप्त किया। बाबा साहब के विचार से ही महिलाओं में चेतना आई और वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जान पाई। महिलाओं को शिक्षित होने एवं परिवार में अधिकारपूर्ण जीने का समर्थन बाबा साहब ने किया। जितना बाबा साहब ने महिलाओं के लिए काम किया उतना भारत के किसी अन्य समाज सुधारक ने नहीं किया इसलिए बाबा साहब के विचार से महिलाओं का ओर विकास हो सकता है। अतः भविष्य में भी कार्य होने की असीम संभावनाएं हैं।

## 13. <u>संभावित अध्याय: (Tentaive chapterization)</u>

- ❖ प्रस्तावना

❖ प्रथम अध्यायः बाबा साहब का जीवन परिचय।

❖ द्वितीय अध्यायः भारत में महिलाओं का इतिहास।

❖ तृतीय अध्याय: भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति।

❖ चतुर्थ अध्यायः महिला के विकास में बाबा साहब का सामाजिक योगदान।

❖ पंचम अध्यायः महिला के उत्थान में बाबासाहेब का संवैधानिक योगदान।

❖ षष्ठ अध्यायः वर्तमान काल में महिला उत्थान में बाबासाहेब की प्रासंगिकता।

❖ सप्तम अध्यायः वर्तमान काल में महिला उत्थान के लिए सुझाव।

❖ उपसंहार

- **<u>प्रथम अध्याय : बाबा साहब का जीवन परिचय</u>**

इस अध्याय में बाबा साहब के बारे में व्याख्यान करेंगे। वर्तमान समय में जिस प्रकार महिलाओं को अधिकार मिले हैं उसका योगदान बाबा साहब के संघर्ष का परिणाम है इस अध्याय में बाबा साहब का जीवन परिचय रखने की कोशिश करेंगे। बाबा साहब हमेशा दलितों और महिलाओं के शिक्षा पर जोर देते थे साथ ही उन्हें अपने अधिकारों के लिए जागरूक भी किया। उसके साथ बाबा साहब के कुछ विचारों का सारांश भी प्रस्तुत किया जाएगा।

- **<u>द्वितीय अध्याय : भारत में महिलाओं का इतिहास</u>**

भारत में महिलाओं का इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है अगर हम इतिहास देखें तो महिलाओं की स्थिति कभी भी एक जैसी नहीं नजर आती है। पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। धीरे-धीरे उनकी स्थिति में गिरावट आते चली गई। मध्यकाल के आते-आते महिलाओं को बहुत से प्रथाओं का सामना करना पड़ा उनका जीवन गृह कार्य तक ही सीमित रह गया। इस अध्याय में हम महिलाओं की स्थिति में हुए उतार-चढ़ाव एवं परिवर्तनों को बताने का प्रयास करेंगे।

- **तृतीय अध्याय : भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति**

इस अध्याय में हम महिलाओं के वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान में महिलाओं को अधिकार तो दिए गए हैं उसके बावजूद भी महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित है । आए दिन महिलाएं घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बलात्कार आदि का शिकार हो रही है। इस अध्याय में वर्तमान समय में महिलाओं को कैसे बाबा साहब के विचारों के द्वारा उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे।

- **चतुर्थ अध्याय : महिला के विकास में बाबा साहब का सामाजिक योगदान**

इस अध्याय में हम बाबा साहब के सामाजिक योगदान चर्चा करेंगे। बाबा साहब अंधविश्वास और रूढ़िवादियों से समाज को मुक्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने शिक्षा को ही हथियार बनाया। बाबा साहब ने सिर्फ दलित और महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए संघर्ष किया तथा सुधारवादी आंदोलन चलाया। इस अध्याय में बाबा साहब के महिलाओं के विकास के लिए किए गए संघर्ष एवं सुधारवादी आंदोलन की चर्चा की जाएगी।

- **पंचम अध्याय : महिला के उत्थान में बाबासाहेब का संवैधानिक योगदान**

इस अध्याय में हम महिलाओं के उत्थान में बाबा साहब के संवैधानिक योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। बाबा साहब ने संविधान के द्वारा महिलाओं को वह सारे अधिकार दिए जिन अधिकारों से वह वंचित थी। बाबा साहब ने सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि दलित और भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए कानून बनाया। इस अध्याय में हम संवैधानिक योगदान की चर्चा करेंगे।

- **षष्ठ अध्याय : वर्तमान काल में महिला उत्थान में बाबासाहब की प्रासंगिकता**

इस अध्याय में हम बाबा साहब की प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करेंगे। बाबा साहब कितने प्रासंगिक है यह बताने के लिए उनका यह कथन ही काफी है कि वह किसी समाज की उन्नति महिलाओं की उन्नति से तय करते हैं। आज भी महिलाओं के साथ  भेदभाव हो रहे हैं। इस विकृत परिस्थिति में बाबा साहब के विचारो की प्रासंगिकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस अध्याय में अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता एवं उपदेशों की व्याख्या की जाएगी।

- **सप्तम अध्याय: वर्तमान काल में महिला उत्थान के लिए सुझाव**

इस अध्याय में हम महिलाओं के उत्थान के लिए चर्चा करेंगे।  बाबा साहब के विचारों के द्वारा महिलाओं की समस्याओं का निवारण करने का सुझाव दिया जाएगा। इस अध्याय में अंबेडकर के विचारों की विस्तृत व्याख्या की जाएगी।

- **निष्कर्ष :**

अंतिम अध्याय में निष्कर्ष सुझाव होगा जिसके अंतर्गत महिलाओं का विकास कैसे हो इसकी चर्चा की जाएगी। इस अध्याय में यह बताया जाएगा कि बाबा साहब का विचार अपना कर महिलाएं कैसे समाज व देश के विकास में अपना योगदान दे सकती है। समस्या का सुझाव बाबा साहब के विचारों से देने का प्रयास करेंगे। वर्तमान समय में अंबेडकर के विचारों को लोगों के बीच रखने से उनके मन में अंबेडकर के प्रति उत्सुकता होगी। विकास के लिए उनके विचार को जीवन में अपना कर एक सुनिश्चित, सुसंस्कृत समाज बना पाएंगे।

◎ संदर्भ सूची:


1. सिंह उमेश प्रताप एवं राजेश कुमार गर्ग," महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम" अध्ययन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली 2012 पृ० संख्या 57
2. DVIVEDI PANDIT GIRIJA PRASAD "MANUSMRITI" PRINTED by M.L Bhargava at the Newal Kishor Press Lucknow page no 325
3. वाजपेयी शालिनी आईआईएमसी नई दिल्ली हिंदी पत्रकारिता http://www.drishtils.com/hindiblog/how-much-has-status-of-women-changed-indian socity
4. श्रीवास्तव के. सी . तथा श्रीवास्तव एम० "प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति" प्रकाशक यूनाइटेड बुक डिपो इलाहाबाद पृ०स०180
5. श्रीवास्तव के. सी . तथा श्रीवास्तव एम० "प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति" प्रकाशक यूनाइटेड बुक डिपो इलाहाबाद पृ०स०181
6. सुमन, मंजू "दलित महिलाएं" सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली 2013 पृष्ठ संख्या 93
7. सुमन, मंजू "दलित महिलाएं" सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली 2013 पृष्ठ संख्या 89
8. मेहता, चेतन सिंह, महिला एवं कानून, आशीष पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली 1996 पृ०स० 7

9. शास्त्री सोहनलाल विद्यवाचस्पती डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू कोड बिल, सम्यक प्रकाशक नई दिल्ली 2018 पृष्ठ संख्या 50